GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

STANDARD OPERATING PROCEDURE

FIRE NOC

Mandatory document checklist for online application

1. Applicant's photo
2. Floor Plans
3. ID proof issued by Government
4. Building photograph
5. Elevation plan /sections of building
6. Affidavit from the applicant

Procedure to Apply Online

1. Applicant Login to SSO Portal for online application .
2. From the list of application, applicant selects LSG online services.
3. Select Fire NOC.
4. Applicant lands on Applicant Dashboard and clicks the new application submission button.
5. Application form is displayed on screen
6. Applicant selects the Local Body. And fill mandatory details- applicant details, NOC details then save the data filled and press next.
7. On the next screen building details have to be filled, save the data filled and press next.
8. On the next screen Fire Hoes rail details have to be filled, save the data filled and press next.
9. On the next screen fill other details and extinguisher details, save the data filled and press next.
10. On the next screen upload documents.

LIST OF DOCUMENTS TO BE UPLOADED:

Mandatory List of Documents

1. Applicant photo
2. ID proof
3. approved floor Plans
4. Elevation Plan with FAR area.
5. building photo
6. affidavit

   Other Documents (not mandatory)

7. Ownership documents
8. UD tax receipt
9. color Google map
10. Fire Plan

11. Applicant has to upload mandatory documents. and save and click finish

12. Intimation by Email and Message on the registered Mobile no. and Email i.d. of Applicant for successful submission Application is sent.

13. After approval from the authority the applicant have options for payment of fees

14. Applicant is re-directed to Payment Gateway for making the Online Payment of Requisite Fee.

15. Intimation by Email and Message on the registered Mobile no. and Email i.d. of Applicant for successful payment of Application Fees.

16. Applicant can download the Fire NOC certificate online then.

17. Application is added to the Applicant's Dashboard for Real – Time Status tracking.

18. No Physical touch point for Document Submission, Verification and Payment is required.

Department process

1. After successful submission of the application by the applicant the application lend to the department to the DC Fire/Executive Officer/Commissioner. The application is then forwarded to the DA for application/ documents verification. The dealing assistant check all application and uploaded documents, if found ok he have the option to forward the application to DC Fire/Executive Officer/Commissioner with his/her remarks. If not found ok than he/she can object and revert the application to the applicant for review and resubmitting.

2. The application lends to the dashboard of the DC Fire/Executive Officer/Commissioner he may than forward it to relevant officer AFO/CFO/FO for inspection. Or revert back to DA.

3. The inspection is done by the inspecting authority and he/she have an option to

upload the inspection report and forwarded to CFO.

4. If the inspection have been found ok than it is forwarded to DC fire. If not the he/she can revert the application
5. DC fire can check and forwarded to accountant for fees submission.
6. The auto calculated fees is generated and application is forwarded to the applicant for fees payment.
7. Applicant is re-directed to Payment Gateway for making the Online Payment of Requisite Fee.
8. After successful submission of fees online. The application lends with DC fire for issuance of the certificate.

CHECK LIST FOR FIRE NOC

1.	भवन का नाम	
2.	भवन का पता	
3.	भवन निर्माणकर्ता का नाम भवन निर्माण कराने वाले का नाम	
4.	विभिन्न फ्लेटों में जो आदमी रहते है उनके नाम व पता	
5.	प्लाटों का क्षेत्रफल	
6.	कवरेज क्षेत्रफल (ग्राउन्ड लेवल)	
7.	भवन की ऊंचाई	
8.	अपूर्व ऊंचाई (ग्राउण्ड लेवल से) (ब) सबसे ऊचे मंजिल की छत की ऊंचाई	
9.	मंजिलों की संख्या (मय ग्राउन्ड फ्लोर)	
10.	आग बुझाने के लिये जो पानी उपलब्ध है उसका विस्तृत विवरण	
11.	क्या वेट राइजर रखे हुए है। अगर है तो राइजरों की संख्या व प्रत्येक के अन्दर का डाइमीटर क्या कोई डाइराइजर रखे हुये है अगर है तो उसकी विस्तृत जानकारी	
12.	क्या कोई डाऊन कवर रखा गया है अगर है तो कृपया पूर्ण रूप से वर्णन करे।	
13.	आग बुझाने के लिए जो पानी है उसका रीप्सलसमेंट के संबंध में बताये।	
14.	क्या आसपास कोई सार्वजनिक या अन्य पानी का स्टोर है	
15.	अगर है तो कितनी मात्रा में व आपके भवन से कितना दूर रहता है।	
16.	अन्य कोई सूचना जो आग बुझाने के पानी के उपलब्धता के सम्बन्ध में आप दे सकते है।	
17.	क्या इन्टरनल हाइड्रेन्ट रखे हुये है, अगर है तो (अ) प्रत्येक मंजिल पर कितने कितने हाइड्रेन्ट मय बैसमेंट के लगे हुये है। (ब) इन हाइडेन्टों में एक या एक से अधिक ग्राउट लुट गये हुये है। क्या फास्ट एड होज रील रखी हुई है अगर हां तो बताये होज रील की संख्या (ए) प्रत्येक मंजिल व बेसमेंट पर (ब) प्रत्येक रील पर होजसरील का डाइमीटर व लम्बाई	

	(स) होजसरील की साईज (वार) तथा लगाये गये नोजल की किस्म (द) क्या होजरील सीधे ही कनेक्टेड है राइजर से हाइडेन्ट या आउटलेट से	
18.	क्या प्रत्येक हाइड्रेन्ट के करीब फायर होज है। (ए) होज की किस्म (बी)होज की साइज (सी) होज की लम्बाई (डी) प्रत्येक हाइड्रेन्ट के पास कितने होज है।	
19.	क्या ब्रांच पाईप उपलब्ध है अगर है तो बताये :— (ए) ब्रांच पाईप की किस्म (बी) प्रत्येक ब्रांच पर फिट किये गये नोजल की साईज	
20.	क्या बेसमेंट कार पार्किंग के लिए काम में आता है या स्टोरेज के लिए क्या वे स्पीक लेडेड है।	
21.	क्या भवन में आटोमेंटिक फायर डिटेक्शन एवं फायर एलार्म सिस्टम है। यदि है तो (ए) डिटेक्टर की किस्म (बी) डिटेक्टर का स्टेण्डर्ड (सी) इन्सटालेशन का कोड	
22.	क्या भवन में आदमियों को बुलाने का बाक्स लगा हुआ है, क्या फायर के फैसले के लिए अलार्म है, अगर है तो विवरण दे।	
23.	क्या भवन में पब्लिक को सूचना देने का सिस्टम है कया प्रत्येंक फ्लोर पर लाउडस्पीकर लगे हुये है।	
24.	क्या प्रत्येंक फ्लोर के बीच इन्टरकाम सिस्टम है तथा फायर केन्द्रीय रूम से	
25.	क्या भवन में प्रत्येंक लावी में फायर कन्ट्रोल रूम है।	
26.	भवन में कितनी सिढ़िया है कृपया प्रत्येंक के सम्बन्ध में बताये। (ए) सीढियों की चौड़ाई (बी)ट्रेडस की चौडाई (सी) सिढियों की ऊंचाई (डी) क्या ट्रेडस नान सिल्प किस्म कें है।	
27.	प्रत्येंक फ्लोर पर कितना औसत भार है।	
28.	भवन में कितनी लिफ्टे है प्रत्येक के सम्बन्ध में बताये। (ए) लिफ्ट के लिए कितनी मंजिल है। (बी) प्रत्येंक लिफ्ट लेडिग पर लिफ्ट के दरवाजे है। (सी) आग की क्षमता लिफ्टकार में तथा लैण्डिंग डोरस पर (डी) लिफ्टकार का फ्लोरींग एरिया (ई) लिफ्टकार की भार क्षमता	

	(एफ) क्या लिफ्टकार पर संचार व्यवस्था है। (जी) मांग के समय आग यन्त्र का लिफ्ट में लगा हुआ है।	
29.	वेटराइजर के लिए (प्रेशर के लिये) क्या स्टेशनरी फायर पम्पस लगे हूये हैं। अगर होतो कृपया बतावें। (ए) पम्पस की संख्या। (बी) सेक्शन की साईज तथा पम्प के डिलेवरी कलेक्शन की साईज। (सी) पम्प के ग्राउटपम्प। (डी) पम्प के ऑपरेटर के समय अधिकतम आउटपूट। (ई) क्या ऑटोमेटिक ऐक्शन में रहता है। (एफ) क्या प्रेशर सप्लाई का श्रोत मौजुद हैं।	
30.	अगर जनरेटर के माध्यम है, तो कृपया बतावें। (ए) केपेसिटी (आउटपूट) (बी) जनरेटर के उपयोग से होने वाले कार्य जैसे लिफ्ट, ऑपरेटर होना फायर पम्प, एम, एजेन्सी लाईटिंग आदि। (सी) क्या जनरेटर ऑटौमेटिक चलता है, या आदमी द्वारा चलाया जाता हैं।	
31.	क्या भवन के फायर पम्प से यार्ड हाईडेन्प्ट सुविधा हैं।	
32.	क्या एक से अधिक लिफ्ट कॉमन दिवार पर है, या अलग से फायर रेस्टिंग दीवार हैं।	
33.	क्या लिफ्ट शीफ्ट है, लिफ्ट सावी या स्टेयरवाल प्रेसराइण्ड हैं। क्या सीढ़ीया या लिफ्ट आगजनी से बचने के लिए सहायक है, क्या धुंआ बाहर से अन्दर प्रवेश करता है।	
34.	क्या बाहर से जाने का रास्ता बाहर का बोर्ड दर्शित है।	
35.	क्या भवन में फाल्स सीलींग लगाई हैं, अगर हो तो उसकी लोकेशन तथा सामान जो काम में लिया गया है, वह कम्बासीबल है या नोन कम्बासीबल हैं।	
36.	क्या भवन पूरी तरह से एयरकन्डीशन्ड है, अगर हो तो बताइये। (ए) सामान जो डक्टस तथा सेनेटरी फिटिंग में काम में लिया गया हैं। (बी) किस तरह की टाइनिंग डफ्टस काम में ली गई हैं। (सी)क्या डक्टस के किसी हिस्से में डाराल्टींग हैं,यह भी बताईये कि लेंगरिंग किस तरह से कार्यरत हैं। (डी) अगर फाल्स सीलिंग लगाई गई हो, तो उपर के 42 नम्बर के अनुसार सूचना दीजिये।	

	(ई) क्या प्रत्येक फ्लोर के लिए अलग से ए.एवक्यू उपलब्ध हैं। (एफ)क्या रिटर्न एयर पेसेज में फ्लेनम काम में आता है फायर प्रोटेक्टर के रूप में।	
37.	ट्रान्सफारमर्स और स्वीच गीयर्स कहां स्थित हैं। क्या भवन के अन्दर है। बताइये। (ए) क्या स्वीच गीयर्स और ट्रांसफार्मस अलग अलग कम्पाटमेंट में है या दीवार 4 घण्टे तक आग से सुरक्षित रह सकती हैं। (बी) ट्रांसफारमर में आग दूसरी ओर न बढ़े उसके लिये क्या–क्या प्रीकोसन लिये गये हैं।	
38.	क्या विद्युत केबल्स टेलिफोन, केबल्स सूखना/वेटरजर्स/डाउन कमर्स पेशों में से जाते है या दीवार में जगह है, केवीलस के लिए तथा प्लग है, जो कि आग से सुरक्षित है।	
39.	कृपया फायर एक्टीन्यूशर की संख्या तथा किस्म के कहां–कहां स्थित हैं बतलाये। तपक कहां–कहां स्थित किये जा सकते है, बतलावे।	
40.	कृपया बतलावे कि सभी फायर एक्टीन्यूशन आई. एस. आई. मार्क हैं।	
41.	क्या भवन में रहने वाले सभी व्यक्ति आग से बचने के उपाय जानते है तथा फायर एक्सटीन्यूशन काम में लेना जानते है तथा आपात काल में कार्य कर सकते है, तो वर्णन कीजियें।	
42.	क्या आपातकालीन व्यवस्थायें भवन में मौजुद हो तो वर्णन कीजियें तथा उसकी कॉपी आपातकाल फायर व्यवस्था को उपलब्ध करावें।	
43.	क्या भवन के लिए योग्यताधारी फायर अधिकारी मौजूद है या कई भवनों के लिये मौजूद है।	
44.	क्या भवन विद्युत से सुरक्षित है अगर हो तो सुरक्षा के उपाय तथा कोड बताईयें।	

TECHNICAL PARAMETERS FOR INSPECTION

Table 23 Minimum Requirements for Fire Fighting Installations

(*Clauses* 4.18.2, 6.1.2, 6.2.3, 6.3.2, 6.4.3, 6.5.2, 6.5.2.1, 6.5.2.2, 6.5.2.3, 6.5.2.4, 6.5.2.5, 6.6.2, 6.7.2, 6.8.2 *and* 6.9.2)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation									Water Supply (in l)		Pump Capacity (in l/min)	
		Fire Extinguisher	Hose Reel	Dry Riser (*see* Note 6)	Wet Riser	Down-Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electric Fire Alarm Systems	Automatic Detection and Alarm System	Underground Static Water Storage Tank	Terrace Tank	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Terrace Level	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 2.0 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
RESIDENTIAL BUILDINGS (A)														
a)	**Lodging or Rooming Houses (A-1)** (*see* Note 1)													
1)	Less than 15 m in height													
	i) Up to 15 rooms	R	NR	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	NR	NR	NR	5 000 (*see* Note 3)	NR	NR
	ii) More than 15 and up to 30 rooms	R	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	NR	NR	NR	3 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (450) (*see* Note 4)
	iii) More than 30 rooms	R	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	R (*see* Note 5)	NR	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (450) (*see* Note 4)
b)	**One or two Family Private Dwellings (A-2)** (*see* Note 1)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
c)	**Dormitories (A-3) Apartment Houses (A-4)**													
1)	Less than 15 m in height	R	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	NR	NR	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (450) (*see* Note 4)
2)	15 m and above but not exceeding 35 m in height	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R (*see* Note 7)	NR	NR	25 000	NR	900
3)	Above 35 m but not exceeding 45 m in height	R	R	NR	R	NR	NR	R (*see* Notes 2 and 8)	R	NR	75 000	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	(*see* Note 19)	NR
4)	Above 45 m in height but not exceeding 60 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R	R	NR	75 000	10 000	(*see* Note 20)	NR
5)	Above 60 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R	R	R	100 000	25 000	(*see* Note 21)	NR
d)	**Hotels (A-5)**													
1)	Less than 15 m in height													
	i) Covered area not exceeding 300 m² on each floor	R	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	5 000 (*see* Note 2)	NR	450 (*see* Note 3)
	ii) Covered area exceeding 300 m² but not more 1 000 m² on each floor	R	R	NR	R (*see* Note 5)	NR	NR	R (*see* Note 2)	R	R	10 000 for every 500 m² covered area subject to minimum of 50 000 (*see* Note 5)	10 000 (*see* Note 2)	(*see* Notes 5 and 19)	NR
	iii) Covered area exceeding 1 000 m² on each floor	R	R	NR	R (*see* Note 9)	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	100 000 (*see* Note 9)	10 000 (*see* Note 2)	(*see* Notes 9 and 19)	NR

Table 23 — *Continued*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2)	15 m and above but not exceeding 30 m	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	150 000	20 000	(*see* Note 20)	NR
3)	Above 30 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 21)	NR
c)	**Hotels (A-6)**	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 22)	NR
EDUCATIONAL BUILDINGS (B) (*see* Note 12)														
1)	Less than 15 m in height													
	i) Ground plus one storey	R	NR	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	NR	NR	NR	5 000 (*see* Note 3)	NR	450 (*see* Note 3)
	ii) Ground plus two or more storeys	R	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	NR	NR	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (450) (*see* Note 4)
2)	15 m and above but not exceeding 30 m in height	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	25 000	NR	900
INSTITUTIONAL BUILDINGS (C) (*see* Note 12)														
a)	**Hospitals, Sanatoria and Nursing Homes (C-1)**													
1)	Less than 15 m in height with plot area up to 1 000 m^2													
	i) Up to ground plus one storey, with no beds	R	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	2 500 (2 500) (*see* Note 4)	NR	NR
	ii) Up to ground plus one storey with beds	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (450) (*see* Note 4)
	iii) Ground plus two or more storeys, with no beds	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R	R	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (450) (*see* Note 4)
	iv) Ground plus two or more storeys, with beds	R	R	NR	R	NR	NR	R (*see* Note 2)	R	R	50 000	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	(*see* Note 19)	NR

Table 23 — *Continued*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2)	Less than 15 m in height with plot area more than 1 000 m^2	R	R	NR	R	NR	R	R (see Note 2)	R	R	1 00 000	10 000	(*see* Note 19)	NR
3)	15 m and above but not exceeding 24 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 11)	R	R	100 000	20 000	(*see* Note 20)	NR
4)	Above 24 m and not exceeding 30 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 11)	R	R	150 000	20 000	(*see* Note 21)	NR
b)	**Custodial (C-2), and Penal and Plental (C-3)**													
1)	Less than 10 m in height													
	i) Up to 300 persons	R	R	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (900) (*see* Note 4)
	ii) More than 300 persons	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	15 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (900) (*see* Note 4)
2)	10 m and above but not exceeding 15 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 2)	R	R	50 000	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	(*see* Note 20)	NR
3)	15 m and above but not exceeding 24 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 11)	R	R	75 000	10 000	(*see* Note 20)	NR
4)	24 m and above but not exceeding 30 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 11)	R	R	100 000	20 000	(*see* Note 21)	NR
ASSEMBLY BUILDINGS (D) (*see* Note 12)														
a)	**Buildings (D-1 to D-5)**													
1)	Less than 10 m in height													
	i) Up to 300 persons	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (450) (*see* Note 4)

Table 23 — *Continued*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ii) More than 300 persons	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	15 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	900
2)	Above 10 m but not exceeding 15 m in height	R	R	NR	R	NR	NR	R (*see* Note 2)	R	R	50 000	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	(*see* Note 20)	450 (450) (*see* Note 4)
3)	Above 15 m but not exceeding 24 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 11)	R	R	75 000	10 000	(*see* Note 20)	NR
4)	Above 24 m but not exceeding 30 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	100 000	20 000	(*see* Note 21)	NR
b)	**Multiplex D-6**	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 22)	NR
c)	**D-7**	For details *see* 6.4.8												
BUSINESS BUILDINGS (E)														
1)	Less than 10 m in height	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	10 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (450) (*see* Note 4)
2)	Above 10 m but not exceeding 15 m in height	R	R	NR	R	NR	NR	R (*see* Note 2)	R	R	50 000	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	(*see* Note 20)	450 (450) (*see* Note 4)
3)	Above 15 m and up to 24 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 11)	R	R	75 000	10 000	(*see* Note 20)	NR
4)	Above 24 m and up to 30 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	100 000	20 000	(*see* Note 21)	NR
5)	Above 30 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	200 000	20 000	(*see* Note 22)	NR
MERCANTILE BUILDINGS (F)														
a)	**F-1 & F-2** (*see* Note 12)													
1)	Less than 15 m in height													
	i) Ground plus one storey, with total covered area not exceeding 500 m²	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	NR	NR	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450 (450) (*see* Note 4)

Table 23 — *Continued*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ii) Ground plus one storey and covered area exceeding 500 m²	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	25 000	NR	900
	iii) More than ground plus one storey	R	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	R	NR	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	900
2)	Above 15 m but not exceeding 24 m in height	R	R	NR	R	NR	NR	R (*see* Note 11)	R	R	100 000	10 000	(*see* Note 20)	NR
3)	Above 24 m but not exceeding 30 m in height	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	150 000	10 000	(*see* Note 21)	NR
b)	**Underground shopping complex (F-3)** (*see* Note 13)	R	R	NR	R	NR	R	R (*see* Note 10)	R	R	150 000	10 000	(*see* Note 21)	NR
INDUSTRIAL BUILDINGS (G) (*see* Note 14)														
a)	**Low Hazard (G-1)** (*see* Note 15)													
	i) Built up area up to 100 m²	R	NR	NR	NR	NR	NR	R (*see* Note 2)	NR	NR	NR	5 000 (*see* Note 3)	NR	450 (*see* Note 3)
	ii) Built up area more than 100 m² and up to 500 m²	R	R	NR	NR	R	NR	R (*see* Note 2)	NR	NR	NR	5 000 (5 000) (*see* Note 4)	NR	450
	iii) Built up area more than 500 m²	R	R	NR	R	R (*see* Note 7)	R	R	NR	R	100 000	10 000	(*see* Note 20)	450
b)	**Moderate Hazard (G-2)** (*see* Note 14)													
	i) Built up area up to 100 m²	R	R	NR	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	10 000	NR	450
	ii) Built up area more than 100 m² and up to 500 m²	R	R	NR	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	10 000	NR	900

Table 23 — *Continued*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	iii) Built up area more than 500 m^2 and up to 1 000 m^2	R	R	NR	R	R (*see* Note 7)	R	R	R	R	75 000	20 000	(*see* Note 20)	900
	iv) Built up area more than 1 000 m^2	R	R	NR	R	R (*see* Note 7)	R	R	R	R	100 000	20 000	(*see* Note 20)	900
c)	**High Hazard** (G-3) (*see* Note 16)													
	i) Built up area up to 50 m^2	R	R	NR	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	5 000	NR	450
	ii) Built up area more than 50 m^2 and up to 150 m^2	R	R	NR	NR	NR	NR	R	NR	R	NR	5 000	NR	450
	iii) Built up area more than 150 m^2 and up to 300 m^2	R	R	NR	R	NR	NR	R	NR	R	25 000	10 000	(*see* Note 19)	450
	iv) Built up area more than 300 m^2 and up to 500 m^2	R	R	NR	R	NR	R	R	R	R	50 000	20 000	(*see* Note 19)	900
	v) Built up area more than 500 m^2	R	R	NR	R	R (*see* Note 7)	R	R	R	R	100 000	20 000	(*see* Note 20)	900
STORAGE BUILDINGS (H) (*see* Note 17)														
1)	Below 15 m in height and covered area less than 250 m^2	R	R	NR	NR	NR	NR	R	NR	NR	25 000	5 000	(*see* Note 19)	450
2)	Below 15 m in height and covered area more than 250 m^2													
	i) Ground floor only	R	R	NR	R	NR	R	R	NR	R	50 000	10 000	(*see* Note 20)	450
	ii) Ground plus one floor	R	R	NR	R	NR	R	R	NR	R	75 000	10 000	(*see* Note 20)	450

Table 23 — *Concluded*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	iii) More than ground plus one floor	R	R	NR	R	NR	R	R	NR	R	100 000	10 000	(*see* Note 20)	450
HAZARDOUS BUILDINGS (J) (*see* Note 17)														
1)	Up to 15 m in height													
	i) Single Storey Building	R	R	NR	NR	NR	R	R	R	R	Minimum 4 h fire fighting requirements	NR	(*see* Note 18)	NR
	ii) More than one floor building but not exceeding 15 m	R	R	NR	R	R	R	R	R	R	Minimum 4 h fire fighting requirements	50 000	(*see* Note 18)	900

R — Required

NR — Not Required

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.17(7) नविवि/नियम/2020 दिनांक 21 JAN 2020

आदेश

राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आग की घटनाऐं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संज्ञान में आया है कि अधिकतर अग्नि दुर्घटनाऐं ऐसे भवन परिसर में हुई है, जिनकी फायर एनओसी नहीं ली गई है। दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही आग की घटनाओं को देखते हुए जन–धन की सुरक्षा एवं आग की दुर्घटनाओं पर काबू पाने की दृष्टि से जो भवन निर्माण बिना स्वीकृति या निर्धारित नियमों की पालना के बिना भी किये गये है, तथा ऐसी गतिविधि जो किसी भवन अथवा भवन के भाग में चल रहे है, उस भवन अथवा भवन के भाग में संबंधित वर्तमान गतिविधि के अनुसारअग्निशमन के प्रावधान एवं अग्निशमन उपकरणों के अभाव में संचालित है, ऐसे भवनों में भी आग लगने की संभावना रहती है। अतः ऐसे भवनों एवं भवन के भाग में संचालित गतिविधियों के अनुसार जन–धन की अग्निशमन दृष्टि से सुरक्षा हेतु फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एनओसी लिया जानेकी अनिवार्यता महसूस की जा रही है।

अतएव, राज्य के सभी अधिसूचित नगरीय क्षेत्रो में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन/अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाऐं यथा अग्नि सुरक्षा यंत्र यथा स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एम.सी.बी. हूटर, फायर अलार्म इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 एवं सपठित धारा 225 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायरएनओसी लिया जाने का प्रावधान निम्नानुसार करती हैः–

1. "अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित ऐसे अनुमोदित/ गैर अनुमोदित निर्मित भवन/परिसर/भवन परिसर का भाग जिनका उपयोगतालिका 1 में उल्लेखित गतिविधियों के लिए किया जा रहा है को फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। नगरीय निकायों में पदस्थापित अग्निशमन अधिकारी यथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी एवं सहायक अग्निशमन अधिकारी जिन्हे निरीक्षण की शक्तियां प्रदत्त की गई हो, वे ऐसे निर्मित भवनों को समय–समय पर निरीक्षण कर सकेगें। सक्षम अधिकारी (मुख्य नगरपालिका अधिकारी) द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगें। मुख्य नगरपालिका अधिकारी धारा 194 (7) (एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अनुमोदित/गैर अनुमोदित निर्मित भवन/परिसर का उपयोग प्रतिषिद्ध करने (सीज) के लिए अधिकृत होगें।"

2. अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित, अनुमोदित अथवा गैर अनुमोदित/अनाधिकृत निर्माण जिनका उपयोग तालिका–1 में उल्लेखित गतिविधियों के लिए किया जा रहा है,ऐसी गतिविधियों/परिसर हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड–2016 के अध्याय "Fire and Life Safety"में वर्णित अग्निशमन उपकरणों/तकनीकी पैरामीटर्स (Table-7 Minimum Requirements for Fire Fighting Installations)यथा Fire Extinguisher, HoseReel, Wet Risers, Down Comer, Yard hydrants , Smoke Detector, Automatic Sprinkler system, Automatic Detection and Alarm System, Under grond storage tank etc.(संलग्नक–"अ") की सुनिश्चिता हेतु फायर एनओसी जारी करने के लिए सक्षम अधिकारीसे फायर सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एनओसी लिया जाना आवश्यक हैः–

2–

C:\users\welcome\dropbox\ACTP(E) cell\ATP East\Fire safety order Edited

Scanned with CamScanner

"तालिका–1"

क्र. सं.	भवनों की प्रकृति	गतिविधियां एवं कार्य संगत	विवरण
1.	आवासीय	छात्रावास, पीजी (पेइंग गेस्ट)	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक तथा जिनका सकल क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर से अधिक हो।
		गेस्ट हाउस, धर्मशाला	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
		फ्लेट्स / स्टूडियों अपार्टमेंट / सर्विस अपार्टमेंट	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक तथा जिनका सकल क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर से अधिक हो।
		अन्य समस्त प्रकृति के आवासीय प्रस्तावित / निर्मित भवन	जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है।
2.	वाणिज्यिक	पण्डाल (स्थायी / अस्थायी)	जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति या अधिक है अथवा 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल है।
		होटल,	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
		रेस्टोरेन्ट, बार, रिसोर्ट एवं मोटल	जिनकी क्षमता 20 व्यक्ति या इससे अधिक हो।
		रूफटॉप रेस्टोरेन्ट	समस्त प्रकार के रूफटॉप रेस्टोरेन्ट।
		समस्त सभागार भवन	जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति या इससे अधिक है एवं जिनका उपयोग मनोरंजक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति, सिविल एवं यात्रा इत्यादि हेतु एकत्रित या सभा हेतु उपयोग किया जाता है। जैसे कि थियेटर, चलचित्र, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थल, शादी / समारोह स्थल (मैरिज गार्डन) म्यूजियम, जिम्नेजियम, डांस क्लब, क्लब, एयरपोर्ट, यात्री स्टेशन, स्टेडियम इत्यादि।
		व्यावसायिक एवं व्यापारिक (Mercantile& Business)	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
		पेट्रोल पम्प / फ्यूल स्टेशन / गैस फिलिंग स्टेशन / अन्य ज्वलनशील पदार्थ स्टोरेज इकाई एवं	समस्त ।

2

Scanned with CamScanner

		समस्त हैजार्डस बिल्डिंग (जैसा कि एकीकृत भवन विनियम–2017 के बिन्दु संख्या 2.28 में परिभाषित है)।	
		स्टोरेज बिल्डिंग	सभी तलो को मिलाकर क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर से अधिक हो।
		अन्य समस्त प्रकृति के व्यावसायिक प्रस्तावित/निर्मित भवन	जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है।
3.	संस्थानिक	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/कोचिंग सेंटर एवं प्रशिक्षण संस्थान।	समस्त ।
		शैक्षणिक संस्थान	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक हो एवं जिसका किसी भी तल पर कुल क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
		सभी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय भवन	जिनकी ऊँचाई 6 मीटर से अधिक तथा जिनमें न्यूनतम 50 व्यक्ति कार्यरत है।
		अन्य समस्त प्रकृति के संस्थानिक प्रस्तावित/निर्मित भवन	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
4.	मिश्रित उपयोग	मिश्रित उपयोग के भूखण्ड अथवा वाणिज्यिक भूखंण्ड पर मिश्रित उपयोग यथा वाणिज्यिक, आवासीय, संस्थागत, होटल, मल्टीप्लेक्स, कार्यालय, एन्टरटेनमेंट कॉम्पलेक्स एक से अधिक उपयोग सम्मिलित रूप से अथवा एकल उपयोग के रूप में अनुज्ञेय होगे।	उपरोक्त क्रम सं. 2 व 3 में वर्णित वाणिज्यिक एवं संस्थागत अनुसार।
5.	औद्योगिक	समस्त प्रकृति के औद्योगिक प्रस्तावित/निर्मित भवन	समस्त।
6.	विशेष	एकीकृत भवन विनियम–2017 की अनुसूची 1 अनुसार	समस्त।

Scanned with CamScanner

	प्रकृति/हैजार्डस	विशेष प्रकृति के भवन तथा बिन्दु संख्या 2.28 अनुसार हैजार्डस भवन।	
7.	अन्य बिन्दुः– • अण्डर ग्राउण्ड स्ट्रक्चर्स/बेसमेंट जिनमें किसी प्रकार की गैर आवासीय गतिविधि संचालित हो जिसका कुल सकल निर्मित क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक हो।		

3. सामान्य निर्देश :–

- कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविद अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित विषय– विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी परीक्षण एवं भवन का निरीक्षण कर अग्निशमन सुरक्षा की रिपोर्ट तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगें॥
- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र नही पाये जाने पर या समुचित अग्निशमन यंत्र नही पाये जाने पर उनके विरूद्ध सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।
- फायर एनओसी जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नगर निगम/ परिषद/ पालिका क्षेत्र के साथ–साथ यू.आई.टी./ विकास प्राधिकरण/ आवासन मण्डल क्षेत्र तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपरोक्त गतिविधियों के लिए अग्निश्मन उपकरणों की सुनिश्चितापरान्त फायर एनओसी जारी की जा सकेगी।
- अग्निशमन प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद स्वायत्त शासन विभाग द्वारा गठित फायर एक्सपर्ट का पैनल द्वारा समय–समय पर अग्निशमन सुविधाओं की जॉच व Mock Drill करवाया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- नगरीय निकाय के सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एनओसी के आवेदन प्राप्त होने पर समुचित अग्निशमन यंत्र लगे होने तथा चालू हालत में होने की दशा में निर्धारित शुल्क लेकर दो वर्ष के लिए जारी कर सकेगी।
- एनओसी जारी होने के एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व संबंधित परिसर का निरीक्षण किया जायेगा।
- निरीक्षण में यदि समुचित फायर उपकरण चालू हालत में नहीं पाये जाने पर संबंधित परिसर के अधिभोगी को नोटिस जारी कर नोटिस की पालना कराई जायेगी, तथा पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार नवीनीकरण फायर एनओसी जारी की जायेगी।
- मुख्य अग्निशमन अधिकारी या अग्निशमन अधिकारी समय –समय पर निरीक्षण कर सकेगें तथा समुचित फायर उपकरण चालू हालत में नही पाये जाने पर संबंधित परिसर के अधिभोगी को नोटिस जारी कर पाबंद करेगें। संबंधित परिसर के अधिभोगी द्वारा नोटिस की पालना नहीं करने पर नगरपालिका अधिनियम धारा 194 (7)(एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अनुमोदित/गैर अनुमोदित निर्मित भवन/परिसर का उपयोग प्रतिषिद्ध करने (सीज) कार्यवाही की जावेगी।
- यह अग्निशमन अनापत्ति पत्र केवल मात्र संदर्भित सम्पत्ति के अग्निशमन की दृष्टि से सुरक्षित किये जाने हेतु निर्देश होगें। जिसमें उल्लेखित शर्तो/प्रकिया के पालन हेतु

Scanned with CamScanner

भूस्वामी एवं विकासकर्ता बाध्य रहेगें। अग्निशमन अनापत्ति केवल भवन या परिसर के उपयोगकर्ता के पक्ष में ही जारी की जावेगी।

- अग्निशमन अनापत्ति जारी होने पर किसी भी निर्मित भवन/परिसर या भूमि को नियमन के लिए अनुमोदित अथवा स्वामित्व का प्रमाण या भवन निर्माण स्वीकृति, अधिवास की स्वीकृति पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन नहीं माना जावेगा। तथा इस संबंध में नियमानुसार पृथक से आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. शुल्कः-

नगरीय क्षेत्र में बहुमंजिला भवनों एवं अन्य भवनों जिनमें अग्निशमन की अनापत्ति लिया जाना अनिवार्य है उनमें कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर नियमानुसार देय अन्य शुल्क के अतिरिक्त "तालिका-2" के अनुसार अग्निशमन शुल्क (फायरसेस) देय होगा-

"तालिका-2"

क्र.स.	प्रस्तावित भवन की ऊँचाई	देय शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)
1.	15 मीटर ऊँचाई तक	रू. 50/- प्रति वर्गमीटर
2.	15 मीटर से अधिक परन्तु 40 मीटर ऊँचाई तक	रू. 100/- प्रति वर्गमीटर
3.	40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर ऊँचाई तक	• रू. 100/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर ऊँचाई तक) • रू. 150/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर से अधिक 60 मीटर ऊँचाई तक)
4.	60 मीटर से अधिक	• रू. 100/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर ऊँचाई तक) • रू. 150/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर से अधिक 60 मीटर ऊँचाई तक) • रू. 200/- प्रति वर्गमीटर (60 मीटर से अधिक ऊँचाई पर)

उक्त राशि आवेदक द्वारा फायर सैस हेतु खोले गये राज्यस्तरीय बैंक खाते में करायी जावेगी एवं निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले प्राधिकरण/न्यास में जमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जावेगी। स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास को इस प्रयोजनार्थ खोले गये एक्सिस बैंक खाता संख्या 919010091350994 ब्रांच सी-स्कीम जयपुर आईएफएससी कोड़ UTIB0CCH274 में जमा करवाई जावेगी। उक्त राशि का उपयोगराज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार राज्य के किसी भी शहर में अग्निशमन

Scanned with CamScanner

उपकरण, प्रशिक्षण, मौकड्रिल इत्यादि में उपयोग किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि किसी भी शहर में उपरोक्त कार्य हेतु स्वीकृत कर सकेगी।
पूर्व में इस सम्बन्ध परिपत्र क्रमांक 6413–6623 दिनांक 23.12.19 जारी किया गया था। जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

Pmc 28012017-3

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
नगरीय विकास विभाग।

क्रमांकः प. 17(7) नविवि/नियम/2020 दिनांक 21 JAN 2020

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
10. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
11. क्षैत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद्/पालिका, समस्त।
13. प्रोग्रामर नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

DD(A)
24/01/2020

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
नगरीय विकास विभाग।

C:\users\welcome\dropbox\ACTP(E) cell\ATP East\Fire safety order Edited

Scanned with CamScanner